



सुरक्षा अलर्टः खुद की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें



दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनियों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम्प्स के ओवरहेड लो वोल्टेड (एलवी), हाई वोल्टेड (एचवी), एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इंस्टॉलेशंस के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावलियां, 2023 ("सीईए सेफ्टी रेगुलेशंस, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय—समय पर संशोधन होता रहा है।

भवनों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इंस्टॉलेशनों से न्यूट्रम वर्टिकल व हॉरिझॉटल दूरी बनाए रखें।

लाइन/ उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहाँ लाइन किसी भवन/ढांचे/ बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	स्थूलतम समतलदूरी/ हॉरिझॉटल विलयन से जहाँ लाइन किसी बिल्डिंग/ ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
650 वोल्टस तक के वोल्टेज की लाइनें	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11000 वोल्ट तक या सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक व सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 केवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त ^{33000 वोल्ट या उसके भाग पर)}	2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त ^{33 केवी या उसके भाग पर)}

ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक दुर्घटनाओं और बिजली आपूर्ति में बाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार किर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले किसी सी पत्थक या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कर्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं



टोल फ्री 24x7
19122



एसएमएस
5616108



बिजली गुल की शिकायत
8745999808



स्ट्रीटलाइट
41999808

दिल्ली में ग्रीन इंडिव को बढ़ावा:

बीएसईएस ने 1000 से अधिक स्थानों पर 3000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाने को फेसिलिटेट किया

1000 से अधिक सुविधाजनक व सुगम स्थानों पर प्राइवेट, पब्लिक व कैप्टिव श्रेणियों में 3000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाने को फेसिलिटेट करके, दिल्ली की ईवी क्रांति को हाई गियर में ले जाने में बीएसईएस मदद कर रही है। आइये साथ मिलकर हम दिल्ली को एक टिकाऊ और प्रदूषण मुक्त कल की ओर ले चें।

	पब्लिक	प्राइवेट	कैप्टिव
पॉइंट्स की संख्या	1305	1252	484
लोकेशनों की संख्या	378	440	324



सुरक्षा सबसे पहले

ईएलसीबी
जरूर लगवाएं

2 किलोवॉट या इससे अधिक
बिजली लोड वाले
उपभोक्ताओं के लिए
ईएलसीबी लगवाना अनिवार्य*



अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी
ईएलसीबी एक सामान्य लेकिन बहुत
उपयोगी उपकरण है, जो अर्थ लीकेज का
पता लगाती है और तत्काल परिसर/उपकरण
में बिजली आपूर्ति को ट्रिप व डिस्केनेक्ट कर देती
है और इस तरह, गंभीर दुर्घटनाओं को होने से
रोकती है।

* सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट
(सीईए) नियमावली 2015 के
सेक्शन 42 के तहत



अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कडकड़मा, दिल्ली-110032
सीआईएन: CIN:U40109DL2001PLC111525, फोन: 11-4124-7111/4124-9273
ईमेल: bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइट: www.bsesdelhi.com